न्यायालय नायब तहसीलदार, तहसील, सूरजगढ़, जिला झुंझुनूं

पीठासीन अधिकारी	:::	मांगेराम पूनियां (तहसीलदार)
मिसल नं.	:::	02 / 2017
सरकार	बनाम	फारूख पुत्र मीराज, जाति–काजी मुसलमान, निवासी– बामनवास

राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के अन्तर्गत

निर्णय दिनांक : 15.02.2017

निर्णय

पत्रावली पेश हुई। पत्रावली का अवलोकन किया गया। इस प्रकरण में संक्षेप में मामला इस प्रकार से है कि गैर सायल फारूख पुत्र मिराज, जाति– काजी मुसलमान, निवासी– बामनवास द्वारा मौजा बामनवास की राजकीय भूमि ख.नं. 355 के कुल रकबा 25.75 है0 किस्म गै.मु. जोहड़ में से रकबा 0.01 है0 भूमि पर लोहे की टीन शैड लगाकर अतिक्रमण करने की रिपोर्ट हल्का पटवारी द्वारा प्रस्तुत की गई। हल्का पटवारी द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट के आधार पर प्रकरण को राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के तहत दर्ज रजिस्टर किया गया। गैर सायल को नोटिस जारी किया गया। गैर सायल ने हाजिर अदालत होकर जवाब नोटिस पेश किया कि उसने अपना अतिक्रमण हटा लिया है। इस पर जांच भू.अ.नि. स्वामीसेही से करवाई गई। मुताबिक रिपोर्ट भू.अ.नि. स्वामीसेही ग्राम बामनवास की भूमि ख.नं. 355 रकबा 25.75 है0 किस्म गै.मु. जोहड़ में से 0.01 है0 भूमि पर फारूख पुत्र मिराज, जाति–काजी मुसलमान निवासी– बामनवास द्वारा लोहे की टीन शैड लगाकर किया गया अतिक्रमण मौके पर ज्यो का त्यों है। उक्त अतिक्रमण नही हटाया गया है। अतः रिपोर्ट पटवारी हल्का को सही मानते हुए गैर सायल को उपरोक्त विवादित भूमि का अतिचारी घोषित किया जाकर उसके विरूद्ध बेदखल करने के आदेश दिये जाते है। आर्थिक दण्ड स्वरूप सरह लगान का 50 गुणा तावान 5 रू. कायम किया जाता है।

तहसील राजस्व लेखाकार के अभिलेख में तावान राशि की कायमी करवाई जावें। पटवारी / गिरदावर हल्का को तावान वसूली एवं मौका बेदखली हेतु लिखा जावें । मिसल फैसल शुमार होकर बाद तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 15.02.2017 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

रा० ले० स० 4 के पृष्ठ सं. 11 पर वर्ष 2016-17 में रूपये 5/- कायम किए
राजस्व लेखाकार

(मांगेराम पूनियां)
तहसीलदार, सूरजगढ़